



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
CIN : U40101UP1980SGC005065



संख्या: 1938/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2018-3(16)मा०सं०-04/2016

दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- सातवें वेतन आयोग (दि० 01.01.2016 से लागू) की पुनरीक्षित वेतन संरचना में नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग (दि० 01.01.2016 से लागू) की पुनरीक्षित वेतन संरचना में संशोधित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 4/2018/जी-1-103-दस-2018-227-2008 दिनांक 18.07.2018 को उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1161-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2018 दिनांक 26.10.2018 की अनुरूपता में अंगीकृत करते हुए निगम की अपनी पुनरीक्षित वेतन संरचना के सापेक्ष अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निम्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार, उल्लिखित दरों पर दिनांक 01.07.2018 से संशोधित दर से नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

वेतन मैट्रिक्स लेवल	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रूपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुसदाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 से 5	480	360	240	160
6 से 8 तक	720	540	360	240
9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

2. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन-बैंड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड-वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।
3. अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं० : 1938-(1)-मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः 2 पर.....

(2)

4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक ओबरा/अनपरा/पारीछा एवं मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० रा०वि०उ०नि०लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
5. महाप्रबन्धक(मा०सं०)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/ईधन/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/जानपद-नवपरियोजनायें/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से दिनांक 29.10.2018 को पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि०(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन./जानपद/वित्त/लेखा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. अधिशासी अभियन्ता/उप सचिव(मा०सं०-01/02/04/05/रिफार्म) उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कट फाइल।

आज्ञा से,

~~30/10/18~~  
(कौशलेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०-04)